रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 439] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 15, 2006/भाद्र 24, 1928

No. 439] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 15, 2006/BHADRA 24, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(दीपस्तम्भ और दीपपोत महानिदेशालय)

अधिसूचना

नोएडा, 13 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 559(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीपघर और दीपपोत विभाग (समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय) पद भर्ती नियम, 1978 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जहां तक उनका संबंध वैज्ञानिक सहायक के पद से है, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, दीपस्तम्भ और दीपपोत महानिदेशालय में वैज्ञानिक सहायक, अराजपत्रित अननुसचिवीय के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दीपस्तम्भ और दीपपोत महानिदेशालय (समूह "ख" अराजपत्रित, अननुसचिवीय वैज्ञानिक सहायक पद) भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें, वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वैज्ञानिक सहायक	1 #(2006) (# कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित, अननु-सचिवीय	5500- 175 – 9000 रूपयें	लागू नहीं होता	आयु 35 (केन्द्रीय सरकार के द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 05 वर्षों की अधिकतम छूट) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्थित जिले तथा चंबा जिलें के पांगी उप खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	नहीं

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति :- भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने के किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
उपकरण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या दृष्टिक में विशेषज्ञता सहित प्रायोगिक भौतिकी में स्नातकोत्तर विज्ञान या कोई मान्यता प्राप्त समतुल्य योग्यता	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे- (1) महानिदेशक दीपस्तम्भ और दीपपोत - अध्यक्ष (2) प्रशासन अधिकारी, दीपस्तम्भ और दीपपोत निदेशालय - सदस्य (3) एक बाहरी सदस्य जो अवर सचिव के रैंक से नीचे का न हो - सदस्य	लागू नहीं होता।

[एसएफएस फा. सं. 3/9/2005-प्रशा.-I]

मनमोहन सिंह सुमन, महानिदेशक

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Shipping)
(DIRECTORATE GENERAL OF LIGHTHOUSES AND LIGHTSHIPS)
NOTIFICATION
Noida, the 13th September, 2006

G.S.R. 559(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Lighthouses and Lightships (Group "C" Non-Gazetted, Non-Ministerial Posts) Recruitment Rules, 1978, in so far as it relates to the post of Scientific Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Scientific Assistant Non-Gazetted, Non-Ministerial, posts in the Directorate General of Lighthouses and Lightships, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Directorate General of Lighthouses and Lightships (Group " B" Non-Gazetted, Non-Ministerial, "Scientific Assistant " post), Recruitment Rules, 2006.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scales of pay.** - The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.** – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualifications.** – No person, -
   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect relaxation of age limit, reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether by selection post or non-election post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Scientific Assistant	1 * (2006) (* Subject to the variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs.5500-175-9000	Not applicable	35 years (relaxable up to a maximum of five years for Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date of determining the age limit shall be the closing date of receipt of applications from candidates in India(and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Himachal Pradesh, Andman and Nocobar Islands of Lakshadweep).	No	Diploma in Instrument Technology or M.Sc. in applied Physics with specialization in Optics; or any recognized equivalent qualifications.

2512 GI/06-2

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable	Two years	Direct recruitment	Not applicable	**Group 'B' (Non-Gazetted) Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of -** (1) Director General of Lighthouses and Lightships, – Chairman (2) Administrative Officer, Directorate of Lighthouses and Lightships – Member (3) An outside member not below the rank of Under Secretary – Member	Not applicable.

[SFS F. No. 3/9/2005-Admn.-I]

M. M. SINGH SUMAN, Director General

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.